



Group
YOUR JOB, OUR WORK

Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

SEPTEMBER'22 EDITION



Dear Reader,

We take the privilege of sharing with you the September'2022 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring to you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Central sphere, Gujarat, and Chhattisgarh.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of September '22. Some of the important announcements made in this newsletter are relaxations of time limit for depositing the monthly contributions under ESI, and many more such important news.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

MINIMUM WAGES REVISIONS

THE BIHAR MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Bihar, vide Notification No. 5/M.W-40-15/2021 L&R - 3142, revised Minimum Wages effective from 1st September 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Bihar				
Effective Date: 01/09/2022 & 01/10/2022				
Nature of Employment: 69 Scheduled Employment including Commercial Establishment				
Category	Minimum Wages till 31/08/2022 per month	VDA w.e.f 01/09/2022 per month	Minimum Wages w.e.f. 01/09/2022 per month	Minimum Wages w.e.f. 01/10/2022 per month
Unskilled	8268	1248	9516	9698
Semi-Skilled	8580	1300	9880	10088
Skilled	10478	1560	12038	12272
Highly Skilled	12792	1924	14716	15002
Supervisory/Clerical	9111	1367	10478	10688

THE UTTAR PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Uttar Pradesh, vide Notification No. 958-65/Pravartan-(M.W.)/15, revised Minimum Wages effective from 1st September 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Uttar Pradesh				
Effective Date: 01/10/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	5750	3993	375	9743
Semi-skilled	6325	4392	412	10717
Skilled	7085	4920	462	12005

THE UTTARAKHAND MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Uttarakhand, vide Notification No. 3367/4-01/13, revised Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Uttarakhand				
Effective Date: 01/10/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Class of workers	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	For Adult Workers in Towns of More Than One Lakh Population	8331	1300	9631
Unskilled	For Remaining Parts of the State	8213	1300	9513
Semi-skilled	For Adult Workers in Towns of More Than One Lakh Population	8924	1300	10224
Semi-skilled	For Remaining Parts of the State	8788	1300	10088
Skilled	For Adult Workers in Towns of More Than One Lakh Population	9518	1300	10818
Skilled	For Remaining Parts of the State	9370	1300	10670
Clerical Category - I	For Adult Workers in Towns of More Than One Lakh Population	10520	1300	11820
Clerical Category - I	For Remaining Parts of the State	10328	1300	11628
Clerical Category - II	For Adult Workers in Towns of More Than One Lakh Population	9772	1300	11072
Clerical Category - II	For Remaining Parts of the State	9611	1300	10911

THE MADHYA PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Madhya Pradesh, vide Notification No. 1/11/Five/2015/39378-627, revised Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Madhya Pradesh			
Effective Date: 01/10/2022			
Category: Shops & Commercial Establishment			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	6500	2825	9325
Semi-skilled	7057	3125	10182
Skilled	8435	3125	11560
Highly Skilled	9735	3125	12860

THE ANDHRA PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Andhra Pradesh, vide Notification No. G/723/2022 has released CPI points resulting in revision in Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Andhra Pradesh				
Effective Date: 01/10/2022				
Category: Commercial Establishment				
Class of Employment	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Minimum Wages Per Month
Weighman/ Kolgari	Zone I	3886	6970	10856
Weighman/ Kolgari	Zone II	3757	6970	10727
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone I	4520	6970	11490
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone II	4302	6970	11272
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone I	3700	6970	10670
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone II	3370	6970	10340
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office In-charge/ Computer Programmer	Zone I	5557	6970	12527
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office In-charge/ Computer Programmer	Zone II	5138	6970	12108
Computer Operator	Zone I	3886	6970	10856
Computer Operator	Zone II	3757	6970	10727
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown In-charge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone I	4102	6970	11072
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown In-charge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone II	3886	6970	10856
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone I	4722	6970	11692
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone II	4520	6970	11490

THE TELANGANA MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Telangana, vide Press Note has released CPI points resulting in revision in Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Telangana				
Effective Date: 01/10/2022				
Category: Commercial Establishment				
Class of Employment	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office In-charge/ Computer Programmer	Zone I	5557	7257.6	12814.6
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office In-charge/ Computer Programmer	Zone II	5138	7257.6	12395.6
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone I	4722	7257.6	11979.6
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone II	4520	7257.6	11777.6
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone I	4520	7257.6	11777.6
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone II	4302	7257.6	11559.6
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown In-charge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone I	4102	7257.6	11359.6
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown In-charge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone II	3886	7257.6	11143.6
Weighman/ Kolgari	Zone I	3886	7257.6	11143.6
Weighman/ Kolgari	Zone II	3757	7257.6	11014.6
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone I	3700	7257.6	10957.6
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone II	3370	7257.6	10627.6
Computer Operator	Zone I	3886	7257.6	11143.6
Computer Operator	Zone II	3757	7257.6	11014.6

CENTRAL SPHERE MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of India, vide Notification F. No. 1/16(1)/2022-LS-II, released Minimum Wages for various categories including, construction or maintenance of roads or runways or in building operations, effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

Central Minimum Wages			
Effective Date: 01/10/2022			
Category: Industrial Workers - Construction or Maintenance of Roads or Runways or in Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph And Overseas Communication Cables And Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines, And Sewerage Pipe Lines			
Category	Zone A	Zone B	Zone C
Unskilled	18486	15470	12402
Semi-Skilled	20488	17446	14482
Skilled	22516	20488	17446
Clerical	22516	20488	17446
Highly Skilled	24440	22516	20488

GUJARAT MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Gujarat, vide Notification No. 657/677/2022, revised Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Gujarat					
Effective Date: 01/10/2022					
Category: Shops & Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Per Day	VDA Per Day	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	Zone I	276	87.3	363.3	9445.8
Unskilled	Zone II	268	87.3	355.3	9237.8
Semi-Skilled	Zone I	284	87.3	371.3	9653.8
Semi-Skilled	Zone II	276	87.3	363.3	9445.8
Skilled	Zone I	293	87.3	380.3	9887.8
Skilled	Zone II	284	87.3	371.3	9653.8

CHHATTISGARH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Chhattisgarh, vide Notification No. 08/2022/5811, revised Minimum Wages effective from 1st October 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details and also refer to the table below for the revised minimum wages.

State: Chhattisgarh				
Effective Date: 01/10/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Category	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	A	8320	1900	10220
	B	8060	1900	9960
	C	7800	1900	9700
Semi-Skilled	A	8970	1900	10870
	B	8710	1900	10610
	C	8450	1900	10350
Skilled	A	9750	1900	11650
	B	9490	1900	11390
	C	9230	1900	11130
Highly-Skilled	A	10530	1900	12430
	B	10270	1900	12170
	C	10010	1900	11910

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



RELAXATIONS OF TIME LIMIT FOR DEPOSITING THE MONTHLY CONTRIBUTIONS UNDER ESI

Employees State Insurance Corporation vide Circular No.-P-11/12/Misc./1/2019(M)-Rev.II, relaxed the time limit for depositing the contributions for the month of August 2022 till the 22nd September 2022 instead of 15th September 2022. Please refer to the notification appended herewith for more details.

ESIC HAS LAUNCHED A NEW FACILITY FOR ONLINE SUBMISSION OF MATERNITY BENEFIT CLAIMS

Employees State Insurance Corporation vide Notification No. R-14013/13/2022-Bft.II, has stepped ahead and launched a new facility for online submission of Maternity Benefit Claims. This will be a paperless facility and Insured Women can claim maternity benefit through online mode. The User Manual for submission of online request is attached is also enclosed herewith for more details. Please refer to the notification as well as manual appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF PROVISIONS FROM ESI ACT IN KRISHNAGIRI, TIRUCHIRAPPALLI AND PERAMBALUR DISTRICTS OF TAMIL NADU

The Government of India, vide Notification No. S.O. 3741(E), has implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act), in all the areas of Krishnagiri, Tiruchirappalli and Perambalur Districts of Tamil Nadu effective 1st October, 2022:

- Chapter IV related to Contribution
- Chapter V related to Benefits and
- Chapter VI related to Adjudication of Disputes and Claims.

Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, [Website: www.gigroup.co.in](http://www.gigroup.co.in)

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जनवरी 2022	125.1	4.63 X 4.93 X 2.88	8223.89
फरवरी, 2022	125.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8217.32
मार्च, 2022	126.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8283.06
अप्रैल, 202	127.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8394.81
मई, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
जून, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
योग :- 50079.62			

वर्ष 2022 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत- $50079.62 \div 6 = 8346.60$
8347.00

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -3142, 3143 दिनांक- 31.08.2022 गजट सं०-684 दि०-05.09.2022	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लीण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वक्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग

(23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, विजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग (26) प्लाईउड उधोग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग (29) रबड एवं कम्पाउंड उधोग (30) बिस्कुट उधोग (31) कोल ब्रिकेट उधोग (32) सिलाई उधोग (33) हैंडलूम उधोग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उधोग (37) मिनरल ग्राईडिंग उधोग (38) शीशा उधोग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उधोग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिदयूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उधोग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूडा मिल (65) इलेक्ट्रोकारस्टिंग एवं मेटल फरनिसिंग उधोग (66) अभियंत्रण उधोग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलींग का कार्य (68) जूट उधोग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उधोग।

अनुसूची -II


क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2022 से प्रभावी होगी	01.10.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00	7.00	373.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00	8.00	388.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00	9.00	472.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00	11.00	577.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	10478.00	210.00	10688.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम

मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2022 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2022 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-3808)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-3809)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2022	125.1	4.63 X 4.93 X 2.88	8223.89
February, 2022	125.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8217.32
March, 2022	126.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8283.06
April, 2022	127.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8394.81
May, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
June, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
Total			50079.62
First Half Yearly Average of the year 2022 Jan.-Jun. $50079.62 \div 6 = 8346.60$			
or 8347			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 3142, 3143 Dated- 31.08.2022 Gazette No.- 684 Dated- 05-09-2022	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and

Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II


Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2022 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2022 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00	7.00	373.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00	8.00	388.00 Perday
3.	Skilled	463.00	9.00	472.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00	11.00	577.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00	210.00	10688.00 Per Month



These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June., 2022** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2022** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R-3808)


By the order of the Governor of Bihar,


(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022


प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2022 से जून 2022 के औसत अंक 366 पर दिनांक: 1-10-2022 से 31-3-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-366 पर दिनांक: 1-10-2022 से दिनांक: 31-3-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(366-216)

.....X5750= ₹0-3993/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.4.2022 से 30.9.2022 तक (कुल मजदूरी ₹0 में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹0 में	दिनांक:1.10.2022 से 31.3.2023 तक	
				दिनांक:1.10.2022 से 31.3.2023 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9530	3993	9743	374.73
2	अर्धकुशल	6325	10483	4392	10717	412.19
3	कुशल	7085	11743	4920	12005	461.73

नियोजन का नाम

- 1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(लायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- 2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- 3 मिथुन उद्योग।
- 4 वास्तविक पेयो(एचोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- 5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- 6 परतदार लकड़ी(लाईवुड) के उद्योग।
- 7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- 8 डेरी और मिल्क डेरी।
- 9 सिल सिलाने कम्पोज़ की विनिर्माणशाला।
- 10 बौध्द तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- 11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- 12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सागान की दुकानों।
- 13 डलाई घर।
- 14 धातु उद्योग।
- 15 टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- 16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- 17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- 18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- 19 होजरी कार्गम।
- 20 निजी पुस्तकालय।
- 21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- 22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- 23 तम्बाकू विनिर्माण।
- 24 धर्मशाला।
- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मोटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 धिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।

h
20/9/2022

- 37 आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 गाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रकालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 छाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति घालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कौंच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, मत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एलपीजी/डीएलपी/विद्युत एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, ऑटोरिक्शा/टैम्बो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एनओजी/ओओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन/विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेंटर/आईटी/इंटरनेट/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 058-65 प्रवर्तन-(एम० डब्ल्यू०)/15

दिनांक 30/9/2022

प्रतिलिपि

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- 2 अनुसूचित, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(विज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई०आर०) मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुरतकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जगहिल में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जनवरी, 2022 से जून, 2022 के औसत सूचकांक 366 पर दिनांक 01-10-2022 से 31-03-2023 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(366-301) \times 20 = 1300.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
2.	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	310/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1300.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1300.00
6.	आइसकैन्डी/आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1300.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1300.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1300.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1300.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1300.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1300.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1300.00
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1300.00

14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	312 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
16.	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1300.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1300.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1300.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1300.00
22.	सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1300.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1300.00
24.	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1300.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1300.00
28.	ऐसे अभिनियत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1300.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1300.00
30.	कपडा छपाई में नियोजन	313 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
31.	क्लबों में नियोजन	314 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00

(3)

33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
34.	उत्तराखण्ड में यात्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1300.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1300.00
36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन	318 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
38.	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	319 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
39.	छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (घश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
43.	प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राईवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राईवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन	326 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन	तदैव	1300.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तदैव	1300.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
50.	ईट नट्टा उद्योग में नियोजन	329 / VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00

(4)

51.	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1300.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1300.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1300.00

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 3367 /4-01/13

दिनांक : 26-9-22

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01/10/2022 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mp.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु
दिनांक 01/10/2022 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20-28
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 29-35
अन्य	पृष्ठ क. 36-37

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्व/पांच/2015/39378-627,

इंदौर, दिनांक 29/9/2022

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,	360.29
फरवरी,	360.00
मार्च,	362.88
अप्रैल,	367.78
मई,	371.52
जून	372.10
औसत सूचकांक	2194.57-6 = 366.76 (366)

तथा इनका औसत 366 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)-1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना 1/11/अन्व./पांच/2015/.~~39378-~~
~~627~~ दिनांक ~~29.9.22~~ के अनुसार जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 366 रहा है। गत छः माही का औसत 358 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 358 के ऊपर $(366-358)=08$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $(25 \times 8)=200-00$ की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(366-241)=125$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $(25 \times 125)=3125.00$ प्रतिमाह या $(3125 \div 26)$ रूपये 120.19 प्रतिदिन एवं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(366-253)=113$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(113 \times 25)=2825.00$ प्रतिमाह या प्रतिदिन $(2825 \div 26) =108.65$ रूपये दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 1.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तन गील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें						
									प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500.00	250.00	2625.00	100.96	9125.00	350.90	351.00	अवशुल	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00
7057.00	271.42	2925.00	112.50	9982.00	383.92	384.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
8435.00	324.42	2925.00	112.50	11360.00	436.92	437.00	कुशल	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
9735.00	374.42	2925.00	112.50	12660.00	486.92	487.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में दैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एम 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक वेतन हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अवशुल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरें पर लेबर शूरी सिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उद्योगिका मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 2003 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उद्योगिका मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतीतिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरें का प्रवर्तन विस्ती की कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिसिष्ट-अ तथा इस संकेत में स्पष्टीकरण परिसिष्ट-ब में देखें।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर


परिशिष्ट-अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

भाग-एक

क्रमांक	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसक्रेडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि.1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पैथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केंद्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़, मुरम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रिकियन्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल हैं) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
भाग दो	
1.	कृषि में नियोजन


 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर



स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं। वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-

(क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

(ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।


(ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।

(घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

JK

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/पून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मैन (खल्लासी), व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़ेंवाला, सिलाई ओपनिंग, डपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मैन, लायसेंसड वेन्डर, बालवाड़ी आया, ग्रान लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नरसी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, दुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेन्डर अटेन्डेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमैन, वॉशरमैन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंधना, पापड बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेन्डेन्ट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरर, सहायक मिस्त्री, लाईनमैन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मैन, बिल मैन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमैन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमैन, फायरमैन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमैन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमैन, मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलेर मैन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालाची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंधने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलेर, स्टीपर फोलेर, हेडफोलेर, काटा फोलेर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा. सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से द्रविस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमैन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, ई.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्टमैन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉंपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन

अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किल्लस शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किल्लस श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन, किल्लस अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक वेन्डसा आपरेटर, थिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, वेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूपसटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गार्ड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेन्डेंट, टर्नर, मोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड शेलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, वोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहॉल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मेकर, हैमरमेन, ग्रीसर प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिकर, प्रयोगशाला सहायक, वैधमिक्सर, प्लांट अटेन्डेंट मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कप्रेसर ऑपरेटर, लान्डी अटेन्डर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिव्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओ.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, दोन क्लेशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, यरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायवलीन डोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेकर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मैकेनिक कम ऑपरेटर, सर्वेनिक सचिव, सेल्समेन, आम्ब सिव्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, धेकरी कारीगर, ओवन/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खींचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय नेकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंधने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गार्ड सुपरवाइजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी ।

उच्च कुशल:-

मेडिकल एवं इंजिनियर स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कंसलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साईटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-**उच्च कुशल:-**

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे :-

अकाउण्टेंट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

कैमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, संवशन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइडर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेंटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कार्स्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्कलूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईंडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायलर क्लिनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कार्स्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कार्स्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर



अनुसूची -ब

किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन


किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
किरीसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का अंश	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर
------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	----------	---------------------------------

प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक					प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
						9	10	11	12	13				14
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	2825.00	100.96	9125.00	350.96	351.00	मजदूर	6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00
6705.00	257.85	2925.00	112.50	9630.00	370.38	370.00	पेकर पट्टी पेकर सीपर	6705.00	257.85	3125.00	120.19	9830.00	378.08	378.00
8435.00	324.42	2925	112.50	11360.00	436.92	437.00	पुनीम, लेखाकार, बलक, आदि	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00
9522.00	366.23	2925	112.50	12447.00	478.73	479.00	रोलर्स, मिन्त्री, माइन्टर्स	9522.00	366.23	3125.00	120.190	12647.00	486.42	486.00
9735.00	374.42	2925	112.50	12560.00	486.92	487.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00
10155.00	390.57	2925	112.50	13080.00	503.08	503.00	कटर्स	10155.00	390.57	3125.00	120.19	13380.00	510.76	511.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में दैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक दैसे ही तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दरवाई गई वेतन दरों पर लेकर भूरी शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आकड़ों के औसत पर आभासित है। 253 सूचकांक के अपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किरीसी मी कर्मचारी पर प्रतिशुल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किरीसी भी दरशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)-ए)



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची - क

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन की दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक													
6500.00	216.66	2625.00	87.50	9125.00	304.16	304.00	अकुशल	6500.00	216.66	2825.00	94.17	9325.00	310.83	311.00
7057.00	235.33	2925.00	97.50	9982.00	332.73	333.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	3125.00	104.17	10182.00	339.40	339.00
8435.00	281.16	2925.00	97.50	11360.00	378.67	379.00	कुशल	8435.00	281.16	3125.00	104.17	11560.00	385.33	385.00
9735.00	324.50	2925.00	97.50	12860.00	422.00	422.00	सुव्यक्तकुशल	9735.00	324.50	3125.00	104.17	12860.00	428.67	429.00
	दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2022 तक													

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रूपये के गुणकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णतया किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- विशेष टोप - उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन त्रिमासिक साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्राई गई वेतन दरों पर लैबर चूरी शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिक भारतीय उपमहाका मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमहाका मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिभिन्नु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अतिरिक्त न्यूनतम वेतन की दरों का प्रदान किसी भी कर्मचारी पर प्रतिशुल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उससे समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)-(v))

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

PR

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे/पांच/2015/39628-877,

इन्दौर, दिनांक 29/9/2022

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3781/813/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ-

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी,	1095
फरवरी,	1095
मार्च,	1098
अप्रैल,	1108
मई,	1119
जून	1125
औसत सूचकांक	$6640 \div 6 = 1106.67$ (1107)

तथा इनका औसत 1107 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01/10/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे/पांच/2015/~~39628-877~~ दिनांक 29/09/2022 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1107 रहा है। गत छ. माही का औसत 1077 रहा था, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1077 के ऊपर $(1107-1077)=30$ बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रु. 6 प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से $(30 \times 6) = 180.00$ रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 $(1986-87=100)$ के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि $(1107-768)=339$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(339 \times 6) = 2034.00$ प्रतिमाह या प्रतिदिन $(2034 \div 30) =$ रु. 67.80 यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन $5350+2034 = 7384.00$ तथा $7384 \div 30$ रुपये 246.13 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है। (अनुसूची-द)

अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

न्यूनतम वेतन की दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
परिवर्तनशील महंगाई	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई	कुल वेतन
भत्ता	का वर्ग	मत्ता	रूपये में
	राउण्ड अप		कर दैनिक दरें

प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक	दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8
5350.00	178.33	1854.00	61.80	7204.00	240.13	240.00	अकुराल
							कृषि
							श्रमिक
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							246.13
							246.00

स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील महंगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जो लेबर व्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिदिन 06 रुपये (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/वार दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे ही तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकियत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल पभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है, तो वह किसी भी द. ॥ में कम नहीं की जावेगी। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा, 12 (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015/11097-346


इंदौर, दिनांक 29/3/2022

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर में डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक सशोधन प्रकाशित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2021	अखिल भारतीय शीडी उपमोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी	7770.39
2. फरवरी	7822.87
3. मार्च	7862.36
4. अप्रैल	7895.25
5. मई	7928.13
6. जून	8000.45
7. जुलाई	8072.69
8. अगस्त	8085.84
9. सितम्बर	8105.56
10. अक्टूबर	8210.75
11. नवम्बर	8263.34
12. दिसम्बर	8243.61
औसत	96261.24 ÷ 12 = 8021.77 औसत (8022)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8022 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तन्नाकू (जिसमें शीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महगाई भत्ता शीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2023 तक देय रहेगा।


 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

Dr

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.8.97 (न.प्र. राजपत्र दिनांक 7.8.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पाठ/15/11097-346 दिनांक 29/03/22 के अनुसार जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8022 रहा है। इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (8022-5299=2723 पाइंट) 2723 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 27.23 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2022 से 31.03.2023 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीकित दरें परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	27.23	रु 101.23 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 101.23 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8 रुपये 85 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 06 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि वावद नियोजक का अंशदान 10 रुपये 62 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 125 रुपये 76 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एच नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 21.24 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में श्रमिकों से 10 रुपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रुपये 62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 104 रुपये 52 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

2. रिलाई अमिक

अ. बीडी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल विपकाने तथा पुडो को बनाने या विपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 79.62
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 58.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 83.49

ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 73.18
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 20.42 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रुपये 53.96
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 6.80 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 19.64
4. पुडा बनाना या विपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 6.80 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 20.05


स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.84 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 108.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 301.56
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 108.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 322.51
3. झिल्ली तथा नदशी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रु. 105.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रुपये 322.51

नोट- बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीडी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर, हाईपिस्ट, विलमेन, बलक, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के अमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल- ड्रायवर (कालक) (सारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टारकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्धकुशल- बीडी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईविस्ट, बिलमेन, क्लर्क


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर


तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 1/04/2022 to 31/3/2023

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2022

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variabie Dearness Allowance	27.23
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.06
4.	Total Wages	106.29
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	8.85
6.	P.F. contribution of empioyer (@ 10% of total wages)	10.62
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-)	125.76
8.	Total Wages+Bonus	115.14
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	10.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	104.52


 (Dr. Virendra singh Rawat)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

92

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर


क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015 /39878-40127, इन्दौर, दिनांक 29/9/2022

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 4 (2) अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के माहों के लिए सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जनवरी,	360.29
फरवरी,	360.00
मार्च,	362.88
अप्रैल,	367.78
मई,	371.52
जून	372.10
औसत सूचकांक	$2194.57 \div 6 = 365.76$ (366)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 366 घोषित करता हूँ। जो कि किसी लम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (मैन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय रहेगा।


 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ./पांच/2015/..... 33878-40/127 दिनांक 29/09/22 के अनुसार जनवरी,2022 से जून,2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 366 रहा है। गत छः माही का औसत 358 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर $(366-358)=08$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 08 = 200.00$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001 =100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $366-239=127$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $25 \times 127 = 3175.00$ प्रतिमाह या $3175 \div 26 = 122$ रुपये 12 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 8250.00 रुपये या $8250 \div 26 = 317$ रुपये 31 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक निम्नानुसार देय है:-

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसीईया, वाहन, ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.19	3175.00	122.12	8250.00	317.31	317.00
2.	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, मृत्य, चौकीदार,	4945.00	190.19	3175.00	122.12	8120.00	312.31	312.00
3.	ड्रायव्हर (चालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कोशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	3175.00	122.12	8400.00	323.08	323.00

स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा, और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।

3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित ओद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में

हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

4. निर्धारित मासिक वेतन कॅलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडिया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 4/11/अन्वे:/पांच/2015/40128-377

इंदौर, दिनांक 29/9/2022


अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2022	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,	360.29
फरवरी,	360.00
मार्च,	362.88
अप्रैल,	367.78
मई,	371.52
जून	372.10
औसत सूचकांक	$2194.57 \div 6 = 365.76$ (366)

अतः विगत छः माही का औसत 366 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप
अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/... 40128-377 दिनांक 29-09-2022 के अनुसार, जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत, 366 रहा है। गत छ' माही का औसत 358 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर $(366-358)=08$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से $(25 \times 08)=200.00$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 $(2001=100)$ के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि $(366-241)=125$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 125)=3125.00$ प्रतिमाह या $(3125 \div 26)=120$ रुपये 19 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु, 200 पर $(125 \div 4=31.25)$ रुपये 31.25 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दि. 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

अनुसूची -एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 52.65
ब. सुगंधित(रॉस्टेड)	22.00	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पकेट बंद करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	20.48	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 45.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	46.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	46.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	27.23	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	58.58
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	36.58	(रु. 41.25) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	77.83
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	41.54	(रु. 50.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	91.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु. 50.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	93.12
8. 200ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	52.76	(रु. 62.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	115.26

सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	46.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	57.85
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	33.00	(रु. 41.25) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	74.25

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	34.48	(रु. 41.25) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	75.73
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	37.03	(रु. 41.25) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	78.28
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु. 50.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	93.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	51.00	(रु. 62.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	113.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	54.47	(रु. 62.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	116.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	16.98	(रु. 21.25) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	38.23
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	17.80	(रु. 21.25) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	39.05
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	21.30	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	46.30
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	22.19	(रु. 25.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	47.19

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	57.85
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	28.70	(रु. 31.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	59.95

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु. 5.00) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	8.85
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु. 6.25) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	10.69
3. पुंगली बनाने के मगज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु. 8.75) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	45.09

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक

क	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राजपंड अप में दैनिक दरें प्रतिदिन
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	3125.00	120.19	9064.00	348.62	349.00
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरनेवाला मसाला तोलने वाला	7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00
3.	एकाउटेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटीबगाने वाला	8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00

नोट:- अगरबत्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउटेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण


1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राजपंड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (सी.डी. ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्वे./पांच/2015/40378-487,

इंदौर, दिनांक 29/9/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
2. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रप्रेषित.
5. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रप्रेषित
6. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकीय विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

32. संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

PART II EXTRAORDINARY

No.1253

AMARAVATI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022

G.1017

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, Etc.

--X--

SPECIAL COMMISSIONER OF LABOUR
ANDHARA PRADESH :: VIJAYAWADA

AND

THE COMPETENT AUTHORITY UNDER MINIMUM WAGES ACT,1948

No.G / 723 / 2022.

DATED: 26.09.2022.

MINIMUM WAGES ACT, 1948 - COST OF LIVING INDEX NUMBERS APPLICABLE
TO THE EMPLOYEES EMPLOYED IN THE SCHEDULED EMPLOYMENTS
AS ON 01-10-2022 - COST OF LIVING ALLOWANCE PAYABLE.

- Ref : 1. G.O.Ms.No.37, Women's Development, Child Welfare and Labour (Lab.II)
Department, Dated: 15-03-1989.
2. Proceedings No G/723/2022 of the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh,
Vijayawada, Dated: 01-04-2022.

ORDER:-

Government have fixed/revised the minimum rates of wages in the Scheduled Employments shown in the Schedule appended which have come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette. The Cost of Living Allowance applicable to various categories of employees in the Scheduled Employments has been specified in the Notification published in the Gazette vide Sl.No.1 to 65 under Part-I and Sl.No.1 to 5 under Part-II of the Schedule appended.

2. The minimum basic rates of wages are linked to the consumer price index numbers for the Industrial workers as per Col.No.5 of the Schedule. The clause of Cost of Living Allowance shown in the Notifications specified that the Commissioner of Labour shall notify the Cost of Living Allowance every six months i.e., 1st April and 1st October. For this purpose, the average rise in the State Industrial Workers Consumer Price Index numbers for the half-year ending December and June respectively shall be taken into account. The average rise in the Consumer Price Index number for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers as on 01.04.2022 in respect of employees in 65 Scheduled Employments under Part-I and 5 scheduled employments under Part-II were already notified by the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, through the reference 2nd cited.

3. The average rise in the Consumer Price Index number for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers as on 01-10-2022 in respect of employees working in the scheduled employments is hereby notified in the Schedule appended. The following notification will be published in the A.P.Gazette Extra-ordinary Part-II.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (d) of section 2 and sub-section (2) of the Section 4 of the Minimum wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), 1, the Special Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, and the Competent Authority under Minimum Wages Act, 1948, hereby declare the average rise in the Consumer Price Index numbers for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers for half year ending June, 2022, as on 01-10-2022, is as follows in respect of the employments specified under Part-I and Part-II in the Schedule.

The Consumer Price Index numbers so notified in the Extra-ordinary Gazette came into force w.e.f. 01-10-2022.

**Schedule appended to the proceedings No. G/ 723 /2022, Dated: 26 -09-2022 of the
Spl. Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada**

SCHEDULE

PART-I

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P.Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Industrial Workers linked in the existing notification (1982=100 series)	C.P.I. Numbers as on 1-10-2022
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Any Oil Mills (39, LET & F (Lab-II) Dept., 29.6.2011)	332	04.07.2011	835	1614
2	Automobile Engineering Workshops including servicing and Repairs (39, LET & F (Lab-II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	525	1614
3	Any Manufacturing Process carried out in Any Factory as defined to Section 2(m) or Section 85 of the Factories Act other than those notified under Part-I or Part-II of the Schedule of Minimum Wages Act, 1948 (4, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	281	17.05.2012	847	1614
4	Additional categories in Handloom Weaving Establishments (56, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2007).	386	04-07-2007	488	1614
5	Baking Process including Biscuit Manufactory (87, LET & F (Lab-II) Dept., 28-09-2007)	619	26-10-2007	525	1614
6	Brick Kiln Industry (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	734	11-12-2006	502	1614
7	Cashew Processing Establishments (49, LET & F (Lab-II) Dept., 24-06-2008)	375	02-07-2008	525	1614
8	Cement Concrete Pipes and Cement Ware Manufactory excluding Stone ware Pipes Manufactory (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-09-2007)	584	06-10-2007	502	1614
9	Chemicals and Pharmaceuticals (117, LET & F (Lab-II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1614

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Cinema Industry (17, LET & F (Lab.II) Dept., 19-02-2009)	105	19-02-2009	537	1614
11	Clubs and Canteens (86, LET & F (Lab.II) Dept., 06-12-2006)	759	20-12-2006	502	1614
12	Coffee Plantations (109, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	508	1614
13	Colour Printing and yarn Dyeing (67, LET & F (Lab.II) Dept., 13-08-2008)	500	28-08-2008	525	1614
14	Construction of Projects including Dams and Multi Purpose Projects (107, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	652	15-11-2007	508	1614
15	Construction or maintenance of Roads and Building Operations (85, LET & F (Lab.II) Dept., 22-09-2007)	568	01-10-2007	525	1614
16	Cotton Ginning and Pressing Factories (50, LET & F (Lab.II) Dept., 22-06-2010)	302	24-06-2010	572	1614
17	Cotton Carpet Weaving Establishments (66, LET & F (Lab.II) Dept., 29-07-2009)	376	03-08-2009	537	1614
18	Distilleries and Breweries (86, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	584	06-10-2007	525	1614
19	Domestic Workers (60, LET & F (Lab.II) Dept., 01-11-2011)	44	18.01.2012	835	1614
20	Electronic Industry (99, LET & F (Lab.II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	525	1614
21	Fisheries and Sea Foods (93, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	617	26-10-2007	525	1614
22	Foot Wear and Leather Industry (27, LFB&IMS (Lab.II) Dept., 17-08-2022)	860	24-08-2022	1479	1614
23	Garment and Allied Manufacturing Industry (62, LET & F (Lab.II) Dept., 19-11-2011)	44	18.01.2012	835	1614
24	Glass Industry (91, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	620	26-10-2007	525	1614
25	Gold Covering and Gold Coating Industry (108, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	525	1614
26	Handloom (Silk) Weaving Estts. (88, LET & F (Lab.II) Dept., 04-10-2008)	653	18-11-2008	488	1614

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Handloom Weaving Establishments (34, LET & F (Lab.II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	488	1614
28	Hospitals, Nursing Homes, Clinics And Dispensaries (68, LET & F (Lab-II) Dept., 8.12.2011)	171	19.03.2012	847	1614
29	Hostels of All Colleges and all other Educational Institutions (71, LET & F (Lab-II) Dept., 15-12-2011)	282	17.05.2012	835	1614
30	Hotels and Restaurants and Eating Houses (105, LET & F (Lab-II) Dept, 01-11-2007)	652	15-11-2007	508	1614
31	Jute and Coir Industry (74, LET&F(Lab-II) Dept., 21.12.2011)	359	02.07.2012	835	1614
32	Khandasari Factories (48, LET & F (Lab.II) Dept., 24-06-2008)	374	02-07-2008	525	1614
33	Lime Stone Kilns (8, LET & F (Lab-II) Dept., 07-02-2006)	87	16-02-2006	487	1614
34	Marketing Societies Consumer Co- Operative societies & Co-Operative Banks (121, LET & F (Lab.II) Dept., 18.12.2007)	728	28-12-2007	525	1614
35	Match and Fire Works (68, LET & F (Lab-II) Dept., 21-07-2007)	466	03-08-2007	502	1614
36	Mesta used Twine Mills (79, LET & F (Lab-II) Dept., 18-10-2006).	580	23-10-2006	502	1614
37	Metal Foundries and General Engineering (88, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1614
38	Mica Works (35, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2008)	327	05-06-2008	525	1614
39	Mini and Tiny Cement Factories (118, LET & F (Lab.II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1614
40	Motion Picture Industry Including Production, distribution & Publicity (98, LET & F (Lab-II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	502	1614
41	Non-Teaching Staff working in Private Educational Institutions including Tutorial Institutions and Computer Coaching Centres (73, LET & (Lab.II) Dept., dt.21.12.2011)	383	09.07.2012	847	1614
42	Paper and paper Boards including Straw Board including handmade paper manufactory (69, LET & F (Lab-II) Dept., 08-12-2011)	82	02.02.2012	835	1614

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	Petrol Bunks (89, LET & F (Lab-II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1614
44	Powerloom Industry (53, LET & F (Lab-II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	525	1614
45	Printing Press including Litho and Offset Printing (51, LET & F (Lab-II) Dept., 27-06-2008)	375	02-07-2008	525	1614
46	Private Motor Transport (90, LET & F (Lab-II) Dept., 28.09.2007)	618	26-10-2007	525	1614
47	Professional such as Chartered, Cost Accounts Auditors including Tax consultants and Clerk working with Advocates (54, LET & F (Lab-II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	572	1614
48	Public Motor Transport (83, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	723	04-12-2006	502	1614
49	Rice Mills Flour Mills or Dall Mills including Roller Floor Mills (82, LET & F (Lab-II) Dept., 21-09-2007)	690	12-12-2007	525	1614
50	Salt Pans (91, LET & F (Lab-II) Dept., 30-12-2006)	67	05-02-2007	502	1614
51	Safai Karmacharis (108, LET & F (Lab-II) Dept., 08-12-2009)	67	09-02-2010	590	1614
52	Security Services (43, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2010)	251	02-06-2010	590	1614
53	Seed Processing Units (35, LET & F (Lab-II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	487	1614
54	Shops and Commercial Establishments (116, LET & F (Lab-II) Dept., 07-12-2007)	705	19-12-2007	525	1614
55	Slate Factories (106, LET & F (Lab-II) Dept., 01-11-2007)	652	15-11-2007	525	1614
56	Soft Drinks and Aerated Water Manufacturing Units (52, LET & F (Lab-II) Dept., 06-07-2006)	410	10-07-2006	487	1614
57	Spinning Mills (3, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	387	09.07.2012	847	1614
58	Steel Mills and Steel Re-Rolling Mills (122, LET & F (Lab-II) Dept., 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1614

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	Stone Breaking & Stone Crushing Operations (05, LET & F (Lab.II) Dept., 02-02-2008)	71	14-02-2008	525	1614
60	Tanneries & Leather Manufactory (38, LET & F (Lab.II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	508	1614
61	Tiles and Potteries (92, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1614
62	Tobacco (excluding Beedi Making) Manufactory (123, LET & F (Lab.II) Dept. 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1614
63	Toddy Tapping Including selling and conveyance Industry (55, LET & F (Lab.II) Dept., 22-06-2007)	435	25-07-2007	508	1614
64	Wood Working establishment including furniture excluding Timbering Operation (34, LET & F (Lab.II) Dept., 26-05-2008)	326	05-06-2008	525	1614
65	Woolen Carpet making and Shawl Weaving Establishments (7, LET & F (Lab.II) Dept., 24-01-2007)	94	15-02-2007	502	1614

PART-II

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P.Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Agricultural Workers linked in the existing notification (1986=100 series)	C.P.I. Numbers as on 1-04-2022
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Betal Vines (32, LET & F (Lab.II) Dept., 18-06-2011)	368	20.07.2011	589	1260
2	Dairy Farming including Cattle Feeding and Conveyance (34, LET & F (Lab.II) Dept., 18.6.2011)	499-A	03.09.2011	589	1260
3	Poultry Farming including Feeding Units and Conveyance (33, LET & F (Lab.II) Dept., 18.06.2011)	368	20.07.2011	589	1260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Horticulture (72, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	629	23.11.2012	589	1260
5	Agriculture (73, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	280	18.04.2013	619	1260

NOTE:

- (i) The Cost of Living Allowance from 01-10-2022 to 31-03-2023 is admissible for the raise in the points over and above link points (i.e. Column.No.6-5) in respect of employments shown from Sl.No.1 to 65 in Part-I and Sl.No.1 to 5 in Part-II.

KARTIKEYA MISRA,
Special Commissioner of Labour.

కార్మిక శాఖ ప్రత్యేక కమిషనర్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్: విజయవాడ వారి ఉత్తర్వులు మరియు
కనీస వేతనాల చట్టం, 1948 క్రింద సమర్థ అధికారి వారి ఉత్తర్వులు

నెం.జి / 723 / 2022

తేదీ : 26 .09.2022

విషయం: 1948 కనీస వేతనాల చట్టం - 01-10-2022 తేదీ నాటికి అనుసూచిత ఉపాదులలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ సూచి సంఖ్యలు - చెల్లించదగు జీవన వ్యయ భత్యం - ఉత్తర్వులు - జారీ చేయడమైంది

నిర్దేశం : 1. జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం.37. మహిళాబివృద్ధి, శిశు సంక్షేమం, కార్మిక (కార్మిక-II) శాఖ, తేదీ. 15.03.1989.
2.జి/723/2022 విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ ప్రత్యేక కమిషనర్ ప్రోసీడింగుల తేదీ : 01.04.2022.

ఉత్తరువు:

ఇందువంట జతచేసిన అనుసూచిత దూపిన అనుసూచిత ఉపాదులలో కనీస వేతనాల రేట్లను ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది/సవరించింది. ఇవి అధికారిక గెజిట్ లో ప్రచురితమైన తేదీ నుండి అమలులోకి వచ్చాయి. అనుసూచిత ఉపాదులలోని వివిధ రకాల ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ భత్యాన్ని ఇందు ఎంట జత చేసిన అనుసూచితోని ఒకటవ భాగంలో గల వరుస సంఖ్య 1 నుండి 65 మరియు రెండవ భాగం లోని వరుస సంఖ్య 1 నుండి 5 ద్వారా గెజిట్ లో ప్రచురించబడిన ప్రకటనలో నిర్దిష్ట పరదడమయింది.

2. అనుసూచితోని 5 వ గడి ప్రకారం పారిశ్రామిక కార్మికుల కోసం కనీస ప్రాథమిక వేతనాల రేట్లను వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలకు జతచేయడమయింది. ప్రతి ఆరు నెలలు అంటే ఏప్రిల్ 1 వ తేదీన మరియు అక్టోబర్ 1 వ తేదీన జీవన వ్యయ భత్యాన్ని కార్మిక కమిషనర్ ప్రకటించాలని ప్రకటనలలో దూపిన జీవన వ్యయ భత్యం ఖండం నిర్దిష్ట పరచింది. వరుసగా జూన్ మరియు డిసెంబర్ నెలలలో ముగిసే ఆర్థిక సంవత్సరాల కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలలో సగటు పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. 1వ భాగంలోని 65 అనుసూచిత ఉపాదులు మరియు 2 వ భాగంలోని 5 అనుసూచిత ఉపాదులలోని ఉద్యోగుల విషయంలో 01-04-2022 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను పైన పేర్కొన్న 2వ నిర్దేశము ద్వారా విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమిషనర్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

3. వరుసగా జనవరి నుండి జూన్, 2022 వరకు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు మరియు వ్యవసాయ వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ అనుసూచిత ఉపాదులలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల విషయంలో 01-10-2022 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారుల ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను ఇందువంట జతచేసిన అనుసూచితో ఇందుమూలంగా ప్రకటించడమయింది. దీగువ ప్రకటనను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గెజిట్ అసాధారణ సంచిక IIవ భాగంలో ప్రచురించడమవుతుంది.

ప్రకటన

1948, కనీస వేతనాల చట్టంలోని 2వ విభాగపు (డి) ఖండం మరియు 4వ విభాగపు (2) ఉప విభాగం క్రింద లభ్యమైన అధికారాలను పునరుద్ధరించుకొని విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనర్ మరియు 1948, కనీస వేతనాల చట్టం క్రింద సమర్థ అధికారి అయిన నేను అనుసూచిలోని 1వ భాగం మరియు 2వ భాగం లో నిర్దిష్టపరచిన ఉపాధుల విషయంలో దిగువ పేర్కొన్న విధంగా 01-10-2022 తేదినాటికి జూన్, 2022 నెలలో ముగిసే అర్హ సంవత్సరం కోసం రాష్ట్ర పౌరశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికులకు సంబంధించి వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను.

ఆ విధంగా అసాదారణ గెజిట్ లో ప్రకటించబడిన వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలు 01-10-2022 తేదినుండి అమలులోకి వచ్చాయి.

విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనరు వారి 26.09.2022 తేదీ గల ప్రోసీడింగుల నెం. జి / 723 / 2022

కు జతపరచిన

అనుసూచి

1వ భాగం

వరుస సంఖ్య	అనుసూచిత ఉపాధి పేరు (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం., తేదీ.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటు అసాధారణ సంచిక 2వ భాగంలో ప్రచురణ		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసందానించిన పారిశ్రామిక కార్మికుల సి.పి.ఐ పాయింట్లు (1982=100 నీరీసు)	01-10- 2022 తేదీనాటికి సి.పి.ఐ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేదీ		
1	2	3	4	5	6
1.	ఏవేని ఆయిలు మిల్లులు (29-6-2011 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.39)	332	4-7-2011	835	1614
2	సర్వసేంగు, మరమ్మతులతోపాటు ఆటోముల్లెలు ఇంజనీరింగు వర్క్ షాపులు (31-3-2009 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.39)	25	22-01-2010	525	1614
3	1948, కనీస వేతనాల చట్టపు అనుసూచిలోని 1వ భాగం, 11వ భాగం క్రింద ప్రకటించినవి కాకుండా మిగిలినటువంటి ప్యాక్టరీల చట్టంలోని 2 (ఎం) విభాగం లేదా 85వ విభాగంలో నిర్వచించిన విధంగా ఏదేని ప్యాక్టరీలో నిర్వహించే ఏదేని తయారీ ప్రక్రియ (07-01-2012 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం. 4)	281	17.05.2012	847	1614
4	చేనేత పరిశ్రమల సంస్థలలోని అదనపు కేటగిరీలు (22-6-2007 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.56)	386	4-7-2007	488	1614
5	బిస్కట్ల తయారీలో సహా టీకింగు ప్రక్రియ (28-9-2007 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.87)	619	26-10-2007	525	1614

6	ఇటుక బట్టి పరిశ్రమ (22-11-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.84)	734	11-12-2006	502	1614
7	జీడిపప్పుల ప్రాసెసింగు సంస్థలు (24-6-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.49)	375	2-7-2008	525	1614
8	స్టోన్ వేర్ పైపుల తయారీ మినహా సిమెంటు కాంక్రీటు పైపులు, సిమెంటు వేర్ తయారీ (22-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.84)	584	6-10-2007	502	1614
9	రసాయనాలు, మందులు (7-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.117)	705	19-12-2007	525	1614
10	చలనచిత్ర పరిశ్రమ (19-2-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.17)	105	19-2-2009	537	1614
11	క్లబ్ టు, క్యాంటీన్ టు (06-12-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.86)	759	20-12-2006	502	1614
12	కాఫీ మొక్కలను నాటడం (1-11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.109)	653	15-11-2007	508	1614
13	కలర్ ఫ్రీటింగ్, నూలు వడకడం (13-8-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.67)	500	28-08-2008	525	1614
14	డ్యామ్ టు, బహుళ ప్రయోజక ప్రాజెక్టులతో కలుపుకొని ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం (1-11- 2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.107)	652	15-11-2007	508	1614
15	రోడ్లు, భవనాల పనుల నిర్మాణం, నిర్వహణ (22-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.85)	568	01-10-2007	525	1614
16	కాలన్ బిల్డింగ్, ప్రెస్సింగ్, ప్యాక్టరీలు	302	24-06-2010	572	1614

	(22-6-2010 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.50)				
17	కాటన్ కార్పెట్ నెత సంస్థలు (29-7-09 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.56)	376	03-08-2009	537	1614
18	డిస్ట్రీలరీలు, బైవరీలు (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.86)	584	06-10-2007	525	1614
19	పని మనుషులు (01-11-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.60)	44	18-01-2012	835	1614
20	ఎలక్ట్రానిక్ పరిక్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.99)	625	27-10-2007	525	1614
21	మత్స్య పరిక్రమ, సముద్రపు ఆహారం (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.93)	617	26-10-2007	525	1614
22	పాదరక్షలు మరియు తోలు పరిక్రమ (17-08-2022 తేదీగల ఎల్ ఎఫ్ బి అండ్ ఐఎంఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.27)	860	24.08.2022	1479	1614
23	గార్మెంటు దాని అనుబంధ తయారీ పరిక్రమ (19-11-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.62)	44	18-01-2012	835	1614
24	గాజు పరిక్రమ (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.91)	620	26-10-2007	525	1614
25	గోల్డ్ కవరింగ్, గోల్డ్ కోటింగ్ పరిక్రమ (1-11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.108)	653	15-11-2007	525	1614
26	జౌళి, (సిల్క్) చేనేతి సంస్థలు (04-10-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.88)	653	18-11-2008	488	1614
27	చేనేతి, జౌళి సంస్థలు (16-03-2009	204	21-04-2009	488	1614

	తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.34)				
28	ఆసుపత్రులు, నర్సింగ్ హోంలు, క్లినిక్ లు, డిస్పెన్సరీలు (8-12-2011 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.68)	171	19-03-2012	847	1614
29	అన్ని కళాశాలల హాస్టళ్లు, అన్ని ఇతర విద్యా సంస్థలు (15-12-2011 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.71)	282	17-05-2012	835	1614
30	హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, భోజన శాలలు (01- 11-2007 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.105)	652	15-11-2007	508	1614
31	జనపనార, కొల్చరి పీఠ పరిశ్రమ (21- 12-2011 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.74)	359	02-07-2012	835	1614
32	ఖండసారి ప్రాక్టరీలు (24-06-2008 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.48)	374	02-07-2008	525	1614
33	సున్నపురాయి పట్టీలు (07-02-2006 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.8)	87	16-02-2006	487	1614
34	మార్కెటింగ్ సొసైటీల వినియోగదారు సహకార సంఘాలు, సహకార బ్యాంకులు (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.121)	728	28-12-2007	525	1614
35	అగ్గిపెట్టెలు, మండుగుండు సామగ్రి పనులు (21-07-2007 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.68)	466	03-08-2007	502	1614
36	బ్రిన్ మిల్స్ లో ఉపయోగస్తున్న మేస్తా (18-10-2006 తేదీగల ఎల్ ఇటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.79)	580	23-10-2006	502	1614
37	మెటల్ పౌండరీస్, జనరల్ ఇంజనీరింగ్	621	26-10-2007	525	1614

	(28-09-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.88)				
38	మైకా పనులు (28-05-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.35)	327	05-06-2008	525	1614
39	మినీ, టీనీ సెమెంట్ ప్లాంట్లు (07-12-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.118)	705	19-12-2007	525	1614
40	నిర్మాణం, పంపిణీ అండ్ ప్రచారంతోపాటు మాషిన్ సీస్ పరిశ్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.98)	625	27-10-2007	502	1614
41	ఝట్టోరియల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్, కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ తోపాటు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలలో పనిచేయుచున్న బోధనా సీబ్బంది (21-12-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.73)	383	09-07-2012	847	1614
42	చేతితో తయారు చేసే పనులతోపాటు, స్ట్రా బోర్డుతోపాటు పసురు మరియు పసురు బోర్డులు (08-12-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.69)	82	02-02-2012	835	1614
43	పట్టోలు బంకులు (28-09-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.89)	621	26-10-2007	525	1614
44	మరమ్మిగ్గం పరిశ్రమ (03-07-2009 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.53)	375	03-08-2009	525	1614
45	లీతో, ఆఫ్ సెట్ తోపాటు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ (27-06-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.51)	375	02-07-2008	525	1614
46	ప్రైవేటు మోటారు ట్రాన్స్పోర్టు (28-09-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.90)	618	26-10-2007	525	1614

47	టాక్స్ కన్సల్ టింట్స్ తోపాటు దార్జిల్, కాస్ట్ అకౌంట్స్ ఆడిటర్ల వంటి వృత్తి నిపుణులు, అద్యక్షిత్వ వద్ద పనిచేస్తున్న క్లర్క్ (03-07-2009 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.54)	375	03-08-2009	572	1614
48	పబ్లిక్ మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ (22-11-2006 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.83)	723	04-12-2006	502	1614
49	రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్స్ తోపాటు రైస్ మిల్లులు, ఫ్లోర్ మిల్లులు లేదా డాల్ మిల్లులు (21-09-2007 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.82)	690	12-12-2007	525	1614
50	సాల్ట్ పాన్స్ (30-12-2006 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.91)	67	05-02-2007	502	1614
51	సహాయ కర్మదారులు (08-12-2009 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.108)	67	09-02-2010	590	1614
52	సెక్యూరిటీ సివలు (28-05-2010 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.43)	251	02-06-2010	590	1614
53	నితిన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (16-03-2009 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.35)	204	21-04-2009	487	1614
54	షాపులు, వాణిజ్య సంస్థలు (07-12-2007 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.116)	705	19-12-2007	525	1614
55	పలక స్వీకర్లు (01-11-2007 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.106)	652	15-11-2007	525	1614
56	స్టాఫ్ డ్రింక్స్, నోడా నీరు ఆయార యూనిట్లు (06-07-2006 తేదీగల ఎలోఇటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాఖ, నెం.52)	410	10-07-2006	487	1614

57	స్పెన్సింగ్ మిల్లులు (07-01-2012 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.3)	387	09-07-2012	847	1614
58	స్టేల్ మిల్లులు, స్టేల్ రీ రోలింగ్ మిల్లులు (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.122)	728	28-12-2007	525	1614
59	స్టోన్ ట్రీకింగ్ అండ్ స్టోన్ క్రషింగ్ ఆపరేషన్స్ (02-02-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.05)	71	14-02-2008	525	1614
60	తోళ్ల గోదాములు అండ్ తోలు కర్మాగారము (31-03-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.38)	25	22-01-2010	508	1614
61	టైల్స్, కుమ్మరి పరిశ్రమలు (28-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.92)	621	26-10-2007	525	1614
62	పొగాకు (టీడీ తయారీ కాకుండా) కర్మాగారం (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.123)	728	28-12-2007	525	1614
63	అమ్మకం, రవాణా పరిశ్రమతోపాటు కల్లుగీత (22-06-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.55)	435	25-07-2007	508	1614
64	కలప నిర్వహణ కాకుండా పర్షియర్ తోపాటు కలప పని పరిపాలన (26-05-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.34)	326	05-06-2008	525	1614
65	ఉల్సన్ కార్పెట్ తయారీ, సాలువా సేత (24-01-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.07)	94	15-02-2007	502	1614

2వ భాగం

వరుస సంఖ్య	అనుసూచిత ఉపాధి పనులు (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.సెం., తేది.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటు అసాధారణ సంచీక 2వ భాగంలో ప్రచురణ		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసంధానించిన వ్యవసాయ కార్మికుల సి.పి.ఐ పాయింట్లు (1986=100 సీరీసు)	01-10-2022 తేదీనాటికి సి.పి.ఐ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేది		
1	2	3	4	5	6
1	తమిల తీగలు (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, సెం.32)	368	20-07-2011	589	1260
2	పశువుల దాణాలోపాటు పాడి పరిశ్రమచివ్వుర్తి (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, సెం.34)	499 -ఏ	03-09-2011	589	1260
3	దాణా యూనిట్లు, రవాణాలోపాటు కోల్డ్ పరిశ్రమ (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, సెం.33)	368	20-07-2011	589	1260
4	ఉద్యానవనాలు (18-07-2012 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, సెం.72)	629	23-11-2012	589	1260
5	వ్యవసాయం (18-07-2012 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, సెం.73)	280	18-04-2013	619	1260

గమనిక :-

- మొదటి భాగంలోని వరుస సంఖ్య 1 నుండి 65, రెండవ భాగంలోని 1 నుండి 5 వరకు చూపిన ఉపాధులకు సంబంధించి లింక్ పాయింట్లు (అంటే 6.5 గడులు) పైబడి పాయింట్లలో పెరుగుదల కోసం 01-10-2022 నుండి 31-03-2023 వరకు జీవన వ్యయబట్టాన్ని అనుమతించినగును.

కాల్చికేయ మిశ్రా,

ప్రత్యేక కాల్చిక శాఖ కమీషనరు.

PRESS NOTE


The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad & the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending June, 2022 as follows:-

Part-I (Industrial Workers) : Increase of 32 points from 1627 to 1659

Part-II(Agricultural Workers):Increase of 32 points from 1228 to 1260

These are applicable for the period from 01.10.2022 to 31.03.2023 in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance.

Sd/- Ahmad Nadeem
Commissioner of Labour


Deputy Commissioner of Labour

File No.1/16(1)/2022-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. 01.10.2022 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	121	111	109
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	131	121	112
Skilled/Clerical	144	131	121
Highly Skilled	158	147	131

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+121=454	303+111=414	300+109=409
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+131=495	335+121=456	307+112=419
Skilled/Clerical	395+144=539	364+131=495	334+121=455
Highly Skilled	438+158=596	407+147=554	364+131=495

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/16(3)/2022-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	188	158	127
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	209	177	147
Skilled/ Clerical	229	209	177
Highly Skilled	247	229	209

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+188=711	437+158=595	350+127=477
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+209=788	494+177=671	410+147=557
Skilled/ Clerical	637+229=866	579+209=788	494+177=671
Highly Skilled	693+247=940	637+229=866	579+209=788

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/16(4)/2020-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

RATES OF V.D.A. FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN LOADING AND UNLOADING IN (i) GOODS SHEDS, PARCEL OFFICES OF RAILWAYS, (ii) OTHER GOODS-SHEDS, GODOWNS, WAREHOUSES AND OTHER SIMILAR EMPLOYMENTS; (iii) DOCKS AND PORTS; AND (iv) PASSENGERS GOODS AND CARGO CARRIED OUT AT AIRPORTS (BOTH INTERNATIONAL AND DOMESTIC).

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 to the employees shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	188
'B'	158
'C'	127

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY		
	Basic Wages (Rs.)	V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
'A'	523	+	188 = 711
'B'	437	+	158 = 595
'C'	350	+	127 = 477

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

No.1/16(5)/2022-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 190(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	188
B	158
C	127

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2022 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			Total (Rs.)
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)	
A	523	+	188	= 711
B	437	+	158	= 595
C	350	+	127	= 477

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/16(6)/2022-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 27/09/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 191(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

I. RATES OF V.D.A. for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	229
B	209
C	177

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2022 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+	229	= 866
B	579	+	209	= 788
C	494	+	177	= 671

II. RATES OF V.D.A. for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	247
B	229
C	209

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+	247	= 940
B	637	+	229	= 866
C	579	+	209	= 788

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/16(2)/2022-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2413(E) dated **28th July, 2017** of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

Rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	127	158
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	158	188
Skilled/ Clerical	188	219
Highly Skilled	219	243

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.10.2022 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+127=477	437+158=595
Semi-Skilled/ Unskilled Supervisory	437+158=595	523+188=711
Skilled/ Clerical	523+188=711	610+219=829
Highly Skilled	610+219=829	683+243=926

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Remis Tiru)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/16/(7)2022 LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/9/2022

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 189(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 365.76 from 357.65 as on 30.06.2022 (Base 2016-100) and thereby resulting in an increase of 8.11 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2022;-

RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "STONE MINES" shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01-10.2022
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	Rs.130
(ii) Soft Soil with rock	Rs.191
(ii) Rock	Rs.253
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.103
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs.767
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.656
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs. 387
Above 5.0 inches	Rs. 319

Ramesh Jaiswal

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2022 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic Wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351	+ Rs.130	= Rs. 481
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531	+ Rs.191	= Rs.722
(iii) Rock	Rs.703	+ Rs.253	= Rs.956
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283	+ Rs.103	= Rs.386
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **			
	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171	+ 767	= 2938
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857	+ 656	= 2513
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088	+ 387	= 1475
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893	+ 319	= 1212

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)


(Remis Tiru)

Chief Labour Commissioner(C)



શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય,
બ્લોક નં-૧૧, ૧૨ અને ૧૪, બીજો માળ,
ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર
ફોન. ૦૭૯૨૩૨૫૩૯
ફેક્સ ૦૭૯૨૩૨૫૭૫૧૩
Web: www.col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક:શ્ર.આ.ક/ટે.૩/૬૫૭૫૧/૬૭૭૨૦૨૨

તા:- ૩૦/૦૮/૨૦૨૨

પ્રતિ,

- (૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
- (૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ (તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)
- (૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.
- (૪) શાખાની સિલેક્ટ ફાઈલ/ પરિપત્ર ફાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૨ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત રોજગારી/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	સ્વીપીંગ અને ક્લીનીંગ કામની રોજગારી (વ્યવસાય)	રૂ.૯૩.૦૦/- પૈસા
૨	અનુ. નં ૧ અને અગરબત્તી બનાવવાની રોજગારી સિવાયની દરેક રોજગારી (વ્યવસાય)	રૂ.૮૭.૩૦/- પૈસા

આમ, અનુ નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત

અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮
અન્વયેના સક્ષમ અધિકારી, ગાંધીનગર

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgcl2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र0आ0 / 2022 / 5810


नवा रायपुर, दिनांक – 28.09.2022

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अमृत कुमार खलखो**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2021	1061	जनवरी 2022	1095
अगस्त 2021	1066	फरवरी 2022	1095
सितम्बर 2021	1067	मार्च 2022	1098
अक्टूबर 2021	1081	अप्रैल 2022	1108
नवम्बर 2021	1092	मई 2022	1119
दिसम्बर 2021	1097	जून 2022	1125
कुल	$\frac{6464}{6} = 1077.33$ (1077)	कुल	$\frac{6640}{6} = 1106.67$ (1107)

इनका औसत **1107** घोषित करता हूँ, जो कि **अनुसूची- "क"** कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4 / 2016 / 16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

**कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.10.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/5810, दिनांक 28.09.2022 के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1107 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 1077 (1986-87=100 जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के आधार आँकड़े) के ऊपर 30 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 30 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 05 रुपये के मान से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 05 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 150 या प्रतिदिन रुपये 05 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है। (अनुसूची-"क")

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)


आकड़े रूपये में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022							दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	1125.00	37.50	8025.00	267.50 (268)	अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	1275.00	42.50	8175.00	272.50 (273)


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2022 / 5811


नवा रायपुर, दिनांक- 28.09.2022

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अमृत कुमार खलखो**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जुलाई 2021	354	जनवरी 2022	360
अगस्त 2021	354	फरवरी 2022	360
सितम्बर 2021	355	मार्च 2022	363
अक्टूबर 2021	360	अप्रैल 2022	368
नवम्बर 2021	362	मई 2022	372
दिसम्बर 2021	361	जून 2022	372
कुल	$\frac{2146}{6} = 357.66$ (358)	कुल	$\frac{2195}{6} = 365.83$ (366)

इनका औसत **366** घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी—जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0 /श्र0आ0/2022/5811, दिनांक 28.09.2022 के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 366 रहा है, जिसके कारण गत छःमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 358.00 (2001=100 जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के आधार आँकड़े) के ऊपर (366-358) 08 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी—जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के उपर प्रति छःमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 160 या प्रतिदिन रुपये 6.15 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अमृत कुमार खलखो, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा परिशिष्ट—“अ” के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची— ख एवं “ग” के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

क्र0	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुर्दा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/बुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट "ब" (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-

"अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्द्धकुशल कर्मचारी" वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

"कुशल कर्मचारी" वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानों जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब"–

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" –

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक)

(दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	1740.00	66.92	10060.00	386.92 (387)	अ	8320.00	320.00	1900.00	73.08	10220.00	393.08 (393)
		ब	8060.00	310.00	1740.00	66.92	9800.00	376.92 (377)	ब	8060.00	310.00	1900.00	73.08	9960.00	383.08 (383)
		स	7800.00	300.00	1740.00	66.92	9540.00	366.92 (367)	स	7800.00	300.00	1900.00	73.08	9700.00	373.08 (373)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	1740.00	66.92	10710.00	411.92 (412)	अ	8970.00	345.00	1900.00	73.08	10870.00	418.08 (418)
		ब	8710.00	335.00	1740.00	66.92	10450.00	401.92 (402)	ब	8710.00	335.00	1900.00	73.08	10610.00	408.08 (408)
		स	8450.00	325.00	1740.00	66.92	10190.00	391.92 (392)	स	8450.00	325.00	1900.00	73.08	10350.00	398.08 (398)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	1740.00	66.92	11490.00	441.92 (442)	अ	9750.00	375.00	1900.00	73.08	11650.00	448.08 (448)
		ब	9490.00	365.00	1740.00	66.92	11230.00	431.92 (432)	ब	9490.00	365.00	1900.00	73.08	11390.00	438.08 (438)
		स	9230.00	355.00	1740.00	66.92	10970.00	421.92 (422)	स	9230.00	355.00	1900.00	73.08	11130.00	428.08 (428)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	1740.00	66.92	12270.00	471.92 (472)	अ	10530.00	405.00	1900.00	73.08	12430.00	478.08 (478)
		ब	10270.00	395.00	1740.00	66.92	12010.00	461.92 (462)	ब	10270.00	395.00	1900.00	73.08	12170.00	468.08 (468)
		स	10010.00	385.00	1740.00	66.92	11750.00	451.92 (452)	स	10010.00	385.00	1900.00	73.08	11910.00	458.08 (458)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


 (अमृत कुमार खलखो)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता।
(दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक) (दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	1740.00	58.00	10060.00	335.33 (335)	अ	8320.00	277.33	1900.00	63.33	10220.00	340.67 (341)
		ब	8060.00	268.67	1740.00	58.00	9800.00	326.67 (327)	ब	8060.00	268.67	1900.00	63.33	9960.00	332.00 (332)
		स	7800.00	260.00	1740.00	58.00	9540.00	318.00 (318)	स	7800.00	260.00	1900.00	63.33	9700.00	323.33 (323)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	1740.00	58.00	10710.00	357.00 (357)	अ	8970.00	299.00	1900.00	63.33	10870.00	362.33 (362)
		ब	8710.00	290.33	1740.00	58.00	10450.00	348.33 (348)	ब	8710.00	290.33	1900.00	63.33	10610.00	353.67 (354)
		स	8450.00	281.67	1740.00	58.00	10190.00	339.67 (340)	स	8450.00	281.67	1900.00	63.33	10350.00	345.00 (345)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	1740.00	58.00	11490.00	383.00 (383)	अ	9750.00	325.00	1900.00	63.33	11650.00	388.33 (388)
		ब	9490.00	316.33	1740.00	58.00	11230.00	374.33 (374)	ब	9490.00	316.33	1900.00	63.33	11390.00	379.67 (380)
		स	9230.00	307.67	1740.00	58.00	10970.00	365.67 (366)	स	9230.00	307.67	1900.00	63.33	11130.00	371.00 (371)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	1740.00	58.00	12270.00	409.00 (409)	अ	10530.00	351.00	1900.00	63.33	12430.00	414.33 (414)
		ब	10270.00	342.33	1740.00	58.00	12010.00	400.33 (400)	ब	10270.00	342.33	1900.00	63.33	12170.00	405.67 (406)
		स	10010.00	333.67	1740.00	58.00	11750.00	391.67 (392)	स	10010.00	333.67	1900.00	63.33	11910.00	397.00 (397)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


 (अमृत कुमार स्वैन)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2022/ 5812

नवा रायपुर, दिनांक – 28.09.2022

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613 /16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं **अमृत कुमार खलखो** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2022 से जून 2022 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2021	1637	जनवरी 2022	1668
अगस्त 2021	1640	फरवरी 2022	1667
सितम्बर 2021	1644	मार्च 2022	1680
अक्टूबर 2021	1665	अप्रैल 2022	1703
नवम्बर 2021	1676	मई 2022	1720
दिसम्बर 2021	1672	जून 2022	1723
कुल	$\frac{9934}{6} = 1655.67$ (1656)	कुल	$\frac{10161}{6} = 1693.50$ (1694)

अतः विगत छः माहों का औसत **1694** घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/5812, दिनांक 28.09.2022 के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1694 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2022 से जून 2022 तक की अवधि 409 औसत बिन्दुओं (1694-1285=409 पाईट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 5.11 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता एवं तदनु रूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक देय है।

(अमृत कुमार खिलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची - "ई"

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु० 26.96	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 5.11) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	32.07
	साधारण सुगंधित (सैंटेड)	रु० 27.66	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 5.11) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	32.77
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।			
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के				
1	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 4.09) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.14
2	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 4.09) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.85
3	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 4.09) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.85
4	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.89	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 5.11) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	34.00
5	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 38.79	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.83) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	45.62
6	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 44.57	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 8.18) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	52.75
7	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 8.18) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	54.05
8	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 56.41	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (रु. 10.23) (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	66.64
सिलोफेन या जिलेटिन के				
1	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 4.09) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.85
2	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 5.11) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.48
3	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 36.30	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.83) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	43.13
4	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 37.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.83) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	43.88

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 39.15	पैसे (रु. 6.83) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	45.98
6	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे (रु. 8.18) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	54.05
7	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 54.99	पैसे (रु. 10.23) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	65.22
8	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 57.81	पैसे (रु. 10.23) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	68.04

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।


बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.29	पैसे (रु. 3.39) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	21.68
2	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.96	पैसे (रु. 3.39) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	22.35
3	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 22.73	पैसे (रु. 4.09) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.82
4	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 23.46	पैसे (रु. 4.09) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.55
5	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे (रु. 5.11) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.48
6	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 30.11	पैसे (रु. 5.11) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	35.22

(ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.22	पैसे (रु. 0.82) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.04
2	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.80	पैसे (रु. 0.90) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.70
3	पुंगली बनाने के कागज प्रति सैकड़ा	रु० 7.32	पैसे (रु. 1.35) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	8.67

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, झाईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जनवरी 2022 से जून 2022 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2021 / 5813


नवा रायपुर, दिनांक 28.09.2022

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अमृत कुमार खलखो श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2021 से जून 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2021	8072.61
अगस्त 2021	8085.85
सितम्बर 2021	8105.48
अक्टूबर 2021	8210.70
नवम्बर 2021	8263.43
दिसम्बर 2021	8243.57
जनवरी 2022	8223.94
फरवरी 2022	8217.32
मार्च 2022	8283.06
अप्रैल 2022	8394.91
मई 2022	8480.28
जून 2022	8493.52
कुल	$\frac{99074.68}{12} = 8256.22$ (8256)

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **8256** घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक देय रहेगा।




(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महुँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/5813, दिनांक 28.09.2022 के अनुसार जुलाई 2021 से जून 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8256 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2021 से जून 2022 की अवधि तक 1935 पाईट (8256-6321) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 19.35 रूपये परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची-‘फ’ अनुसार परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	19.35	रु0 115.59 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 647.30 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 647.30 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2. रेलाई श्रमिक				
अ बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना				
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने कट्टों पर संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000	रु. 9.68 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	62.86
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 9.68 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	66.03
ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य				
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 9.68 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	57.74
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 7.26 (1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार)	42.46
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 2.42 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	15.52
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 2.42 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	15.86
स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो				
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	237.58
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	254.72
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 38.70 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	254.72

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छॉटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राईवर (चालक) (भारी वाहन) एकाउंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छॉटने या जांच करने वाले, भट्टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2022 To 30.09.2023

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2022

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	19.35
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	5.78
4	Total Wages	121.37
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	10.11
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	12.14
7	Total	143.62
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	12.14
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	12.14
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9))	119.34


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची-‘फ’ के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2022 / 5814

नवा रायपुर, दिनांक 28.09.2022

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि—514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर ।

16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
36. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
41. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
42. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
45. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
47. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
48. नियंत्रक, नाप-तौल विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
49. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
53. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
54. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
55. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
56. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

58. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
59. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
60. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
61. संचालक, कृषि विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
62. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
63. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
64. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
65. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
66. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
67. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
68. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
69. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
70. संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
71. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
72. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
73. संचालक, मत्स्योद्योग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
74. मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं सतर्कता, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
75. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
76. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
77. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
78. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
79. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
80. आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
81. संचालक, सैनिक कल्याण, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
82. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

83. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
86. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाइंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
87. संभाग आयुक्त, जिला-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा (राजस्व संभाग) ।
88. सचिव, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन-13, जलविहार कॉलोनी, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर ।
90. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर ।
91. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, जल विहार कॉलानी, तेलीबांधा, रायपुर ।
92. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर ।
93. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायगढ़ बाड़ा, सिविल लाईन, रायपुर ।
94. सचिव, राज्य युवा आयोग, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर ।
95. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
96. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, गौरव पथ, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर ।
97. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर, जिला-रायपुर ।
98. सचिव, राजस्व मण्डल, नेहरू नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर ।
99. संचालक उद्योग, उद्योग भवन, रिंग रोड नं., तेलीबांधा, रायपुर ।
100. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के पास, रायपुर ।
101. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, जी0ई0रायपुर ।
102. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, पुलिस लाईन रायपुर, जिला- रायपुर ।
103. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
104. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, के पास, रायपुर, जिला-रायपुर ।
105. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अनुपम गार्डन, आयुर्वेदिक कालेज के पास, रायपुर ।
106. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
107. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
108. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
109. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
110. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
111. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर ।

112. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंडरी रोड, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
113. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
114. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
115. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
116. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, व्ही. आई. पी. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
119. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, काली माता मंदिर चौक, सिविल लाईन रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
120. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
121. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
122. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

142. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, द्वितीय तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. नगर घड़ी चौक, रायपुर।
154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।
156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रोहणीपुरम्, रिंग रोड, डीडी नगर, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अवंति विहार, रायपुर।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, समता कॉलोनी, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर।
165. समस्त अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
166. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
167. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही।

168. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर।
169. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
170. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
171. केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।

(अमृत कुमार खलखी)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)
E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र.आ. / 2022 / 5815

दिनांक- 28.09.2022

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।


(डी0पी0तिवारी)
उप श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

NOTIFICATION

Labour, Skill Development and Employment Department,
Sachivalaya, Gandhinagar.

Dated the 17th September ,2022.

The Building and
Other Construction
Workers (Regulation
of Employment and
Conditions of
Service) Act, 1996.

No:GHR/2022/121/LED/TBA/e-file/11/2022/1366/M3- In exercise of the powers conferred by section 62, read with section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (XXVII of 1996), the Government of Gujarat, hereby amends the Gujarat Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2003, namely:

1. (1) These rules may be called the Gujarat Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Official Gazette*.
2. In the Gujarat Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2003 (hereinafter referred to as "the said rules")

(1) In rule 24 , in sub-rule (1) for the words "**fifteen days**", the words "**thirty days**" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 24, after sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if no order for compliance/ registration certificate is communicated to the applicant within thirty days from the date of receipt of the registration application, the permission applied for by the said application shall be deemed to have been granted."

By order and in the name of the Governor of Gujarat,



(GAGUBHA RAJ)
Deputy Secretary to the Government.

The Manager,
Government Central Press,
Gandhinagar.

With a request to publish the notification in the Extra-Ordinary Gujarat Government e-Gazette Part IV-B.

Copy Forwarded With Compliments to:-

1. The Commissioner of Labour, Gujarat State, Block No.14, 2nd Floor, Udhog Bhavan, Sector-11, Gandhinagar.
2. The director, Industrial Safety and Health, Shram Bhavan, Khanpur, Ahmedabad
3. Member Secretary, Gujarat Building and other Construction Workers Welfare Board, Khanpur, Ahmedabad.
4. Under Secretary, Legislative and Parliamentary Affairs Department, Sachivalaya, Gandhinagar. (The Gujarati Version of the notification may Please be Published in the Extra-Ordinary Gujarat Government e-Gazette Part - IV - B.)
5. Technical Officer, IT cell, Labour, Skill Development & Employment Dept. – with a request to upload it on dept. website under public domain.
6. Branch Select File /M-3-2022.



कर्मचारी राज्य बीमा निधि
(एन और रोयल्टी संस्थान, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, पी.आई.सी. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
Panchdeep Bhawan, C.I.C. Marg, New Delhi 110002
Website: www.esic.nic.in/www.esic.in

No.-P-11/12/Misc./1/2019(M)-Rev.II

Dated: 15/09/2022

To,

All Regional Directors/Director(I/C)/JD/DD-I/C
All Regional Offices/Sub-Regional Offices
ESIC

Sub:- **Relaxation of time limit for depositing monthly contribution for the month of August,2022.**

Sir,

Keeping in view the problems being faced by the employers in depositing ESI contribution for the month of August,2022, the Director General in exercise of powers vested under Regulation 100 has relaxed the provision as entered in Regulation 31 of the Employees' State Insurance (General) Regulations,1950.

In this regard, as a one-time opportunity, employers are allowed to deposit contribution for the month of August, 2022 up to 22.09.2022 instead of 15.09.2022.

It is advised to give wide publicity to the above relaxation among stakeholders for their kind information.

This issues with the approval of Director General.

Yours faithfully,

(Mohit Raja)

Dy.Dir(Rev)

Copy to:-

1. Website Content Manager with the request to upload the above instructions on the website of ESI Corporation.
2. ICT Division, Hqrs.Office with the request to take urgent suitable action in the above subject matter.

Dy.Dir(Rev)



No.R-14013/13/2022-Bft.II

Dated : 22.09.2022

To,

All RDs/JDs/DDs (In-charge)
All Regional / Sub Regional Office
Employees' State Insurance Corporation

Subject : Claim Request Submission for Cash Benefit - IP Portal - reg.

Sir,

I am directed to inform that the online submission of Maternity Claim has been deployed. The I.W. whose UAN number has been seeded in the system, can claim for Maternity Benefit through IP Portal. The User Manual for submission of online request is attached herewith for kind information. it is requested to advise the Branch Office Managers suitably.

This issues with the approval of Insurance Commissioner (Bft.).

Yours faithfully

Encl:-As above.

(Nagendra Kumar)
Assistant Director (Ben.II)

Copy to -

Web content manager for uploading the same on ESIC Website.



HOME

ABOUT US

WRITE TO US

ACTS

ESI SCHEMES

TENDER

DASHBOARD

PUBLIC GRIEVANCE

Health Passbook

User-friendly mechanism for beneficiary identification, recording of clinical findings and consultation advice by the Insurance Medical Practitioner(s)

Your Treatment Details at a Glance

- Small QR coded booklet with the credential of ESIC beneficiary having photograph affixed on the cover of the Health Passbook duly attested by the Employer/ESIC Branch Manager
- Every family member of the Insured Person is entitled for a Health Passbook
- The Health Passbook is issued to each dependent member of the Insured Person

Latest News & Events



Click on Insured Person/Beneficiary



Employer Login



Insured Person /
Beneficiary



Insurance Medical
Practitioner(IMP)



mEUD



ESIC
Staff / Pensioner



Lawyer

IP Portal



The Employees' State Insurance Act, 1948,
An Act to provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury and to make provision for certain other matters in relation thereto.]

Language/भाषा: English ▼

Insured Person / Beneficiary Login

Insured Person ESI Staff

Username*

Password*

Captcha*



Refresh

[Sign Up](#)

[Forgot Password](#)

[IP Portal Secure Login Help File](#)

Enter login credentials and
click "Login" button



User ID 118800089

Change Password



Insured Person Details

Language/भाषा: English

Details

Insured Person Name	Subbu a	Insurance Number	118800089
UNID Number	MH01000000001	Date of Birth	03/1/1982
Dispensary Name	Dispensary Azadpur	Disability Type	- NA -
Dispensary For Family	Azadpur, DL (ESIC Disp.)	Registration Date	12/05/2015
First Date Of Appointment	01/01/2015	Current Date of Appointment	27/07/2022
Mobile Number	*****1738	Account Number	*****4747

Insured Person

- [Insured Person Details](#)
- [Entitlement to Benefits](#)
- [Contribution Details](#)

Value Added S

- [ABVKY Claim creation](#)
- [IP Claim Reimbursement](#)
- [Cash Benefit Claim Request Submission](#)

Click on this link to submit the Cash Benefit Claim Request



Login User



List of Online Certificates uploaded by dispensary/hospital will be displayed here

Online Certificates

S.No	Number	Type	Sub Type	Date/Time of Generation	Request Claim
1	DUMMY000012209044	Maternity Benefit	Expected Confinement	7/27/2022 3:31:06 PM	Click here to raise request

Click on this link in order to raise the claim request

टिप्पणी:

- 1- दावेदार प्रमाणित होगा कि प्रदर्शित बैंक विवरण सही और वैध हैं जहां धन के माफ़त संचालन के बाद धन हस्तांतरित किया जा सकता है।
- 2- दावा अनुरोध जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब यूएन(UAN) को सौंप दिया गया हो और बैंक विवरण (एम्प्लॉयर्स/हॉस्पिटल द्वारा सत्यापित किया गया हो) वह एक बार की परिमिति है। प्रमाणित के लिए प्रमाणित द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- 3- इन प्रमाणपत्रों के बिना ऑनलाइन दावा अनुरोध उत्पन्न किया जा सकता है, यदि पहले से अन्य याचकों/पीडितों के माध्यम से नया नहीं किया गया है।

Footnote:

- 1- The claimant shall certify that the displayed Bank Credentials are correct and valid where the money could be transferred after successful verification of the claim.
- 2- Online application for Claim Request Submission can only be made if the UAN is seeded in ESIC records by the Employer/ESI Officer and the Bank Details have been verified by the ESIC Branch Office. This is an one-time activity. Please contact Employer / Branch Office for assistance in case of updation of Bank Details/ UAN



Login User: 1199900090

Maternity Benefit Claim Request Form (Expected Confinement / Confinement / Miscarriage)

Click on this link to view Maternity Certificate created by doctor

Insured Person's Particulars			
Insurance Number:*	1199900090	Name :	Sobhu a
UAN Number:*	678432245677	ABHA :	
Date of Issue:	7/27/2022 3:31:06 PM	Name of Branch Office:*	BD - 4/mer...
Date of Expected Confinement :*	27/07/2022		Click to view Maternity Benefit Certificate Created by Doctor
Mobile :*	9712781738		

BANK DETAILS OF THE INSURED PERSON AS PER RECORDS :

Bank Name:*	ICICI BANK LIMITED	Account Number:*	8437463754747
-------------	--------------------	------------------	---------------

I hereby agree to the following-

1-1, the above mentioned insured Woman, hereby claim Maternity Benefit for expected confinement / confinement / miscarriage (as shown above) with effect from - 27/07/2022

2-1, further declare that I have ceased / shall cease to work for remuneration with effect from the aforesaid date.

3-1, do hereby give notice that I have taken up / shall take up work for remuneration with effect from the [] I have drawn maternity benefit only upto []

4-1, do hereby certify that my Bank & other details displayed above are valid, active and correct in all respect and I consent to receive Cash Benefit in this Bank account.

टिप्पणी:

[- सर्वोच्च प्रमणित कोमा कि उपरिनिर्तित बैंक विभाग सही और वेब हैं जहां दावे के सफल समाधान के बाद धन हस्तांतरित किया जा सकता है।]



Login User: 1199900090

Maternity Certificate details

Maternity Benefit Claim Request Form (Expected Confinement / Confinement / Miscarriage)

Insured Person's Particulars

Insurance Number:
UAN Number:
Date of Issue:
Date of Expected Confinement:
Mobile No:
Bank Name:

FORM 18 - DOCTOR CERTIFICATE OF EXPECTED CONFINEMENT / CONFINEMENT / MISCARRIAGE			
Certificate No.:	DUMMY000012200044	Hospital/Dispensary Name:	test
IP Number:	1199900090	IP Name:	Subba
Issue Date:	7/27/2022 3:31:06 PM	Doctor Name:	Mr Application L ONE
Name of Husband:	Srikanth A	Confinement Type:	Expected Confinement
Expected Date:	27/07/2022	Remarks by Medical Officer, If Any:	

Benefit Certificate Created by

I hereby agree to the following:

- 1- I, the above mentioned insured person,
- 2- I, further declare that I have ceased / shall cease to work for remuneration with effect from the above said date.
- 3- I, do hereby give notice that I have taken up / shall take up work for remuneration with effect from the I have drawn maternity benefit only upto
- 4- I, do hereby certify that my Bank & other details displayed above are valid, active and correct in all respect and I consent to receive Cash Benefit in this Bank account.

Submit Cancel

टिप्पणी:
1- हमें हमारा प्रमाणित प्रमाण कि प्रमाणित बैंक विवरण सही और वेब में जहाँ हमारे के प्रमुख कार्यालय के बाद पर उपलब्धता किना ना प्रकृत है।



Login User: 1199900090

Maternity Benefit Claim Request Form (Expected Confinement / Confinement / Miscarriage)

Insured Person's Particulars

Insurance Number	*****	Name :	Subbu a
UAN Number	*****	ABHA :	NA
Date of Issue	*****	Name of Branch Office:	BO - Ajmeri Gate
Date of Expected Confinement	*****	Click to view Maternity Benefit Certificate Created by	
Mobile :	9712781738		

IW need to click on the declaration checkbox to proceed further

BANK DETAILS OF THE INSUR

Bank Name:	ICICI BANK LIMITED
<input type="checkbox"/> I hereby agree to the following-	
1- I, the above mentioned insured woman, hereby claim Maternity Benefit for expected confinement / confinement / miscarriage (as per the above mentioned date) from -	27/07/2022
2- I, further declare that I have ceased / shall cease to work for remuneration with effect from the aforesaid date.	
3- I, do hereby give notice that I have taken up / shall take up work for remuneration with effect from the	I have drawn maternity benefit only upto
4- I, do hereby certify that my Bank & other details displayed above are valid, active and correct in all respect and I consent to receive Cash Benefit in this Bank account.	

Click on Submit button to submit the Claim Request.

Submit

Cancel

टिप्पणी:

। - दाखेदार प्रमाणित करते हैं कि प्रदर्शित बैंक विवरण सही और वैध हैं जहां दाखे के प्रकृत मातापिता के खातें धन हस्तांतरित किए जा सकते हैं।



Login User : 1199900090



Maternity Benefit Claim Request Form (Expected Confinement / Confinement / Miscarriage)

Insured Person's Particulars

Insurance Number:	1199900090	Subbu a
UAN Number:	675433245677	NR
Date of Issue:	DO YOU REALLY WANT TO SUBMIT YOUR CLAIM REQUEST?	
Date of Expected Confinement :	<input type="button" value="Yes"/> <input type="button" value="No"/>	BO - Arun Gale
Mobile :	9712781738	Click to view Maternity Benefit Certificate Created by Doctor

Click on Yes button.

BANK DETAILS OF THE INSURED PERSON AS PER RECORDS

Bank Name:	ICICI BANK LIMITED	Account Number:	8437483754747
------------	--------------------	-----------------	---------------

I hereby agree to the following:

1- I, the above mentioned insured Woman, hereby claim Maternity Benefit for expected confinement / confinement / miscarriage (as shown above) with effect from:

2- I further declare that I have ceased / shall cease to work for remuneration with effect from the aforesaid date.

3- I do hereby give notice that I have taken up / shall take up work for remuneration with effect from the . I have drawn maternity benefit only upto

4- I do hereby certify that my Bank & other details displayed above are valid, active and correct in all respect and I consent to receive Cash Benefit in this Bank account.

टिप्पणी:
[-] - दाखिलद प्रमाणित करेगा कि प्रदर्शित बैंक विवरण सही और वैध हैं जहां दावे के सफल सम्पन्न के बाद धन हस्तांतरित किया जा सकता है।



Login User: 1199900000



Maternity Benefit Claim Request Form (Expected Confinement / Confinement / Miscarriage)

Insured Person's Particulars

Insurance Number:	1199900000	Name :	Subbu a
UAN Number:	876433245677	ABHA :	N/A
Date of Issue:	MATERNITY BENEFIT CLAIM REQUEST HAS BEEN SUBMITTED SUCCESSFULLY!!!		
Date of Expected Confinement :			
Mobile :	9712781738	Click to view Maternity Benefit Certificate Created by Doctor	

BANK DETAILS OF THE INSURED PERSON AS PER

Bank Name:	ICICI BANK LIMITED	Ac
<input checked="" type="checkbox"/> I hereby agree to the following- 1- I, the above mentioned Insured Woman, hereby claim Maternity Benefit for expected confinement / confinement / miscarriage. 2- I, further declare that I have ceased / shall cease to work for remuneration with effect from the aforesaid date. 3- I, do hereby give notice that I have taken up / shall take up work for remuneration with effect from the <input type="text" value="27/07/2022"/> I have drawn maternity benefit only upto <input type="text" value="20/10/2022"/> 4- I, do hereby certify that my Bank & other details displayed above are valid, active and correct in all respect and I consent to receive Cash Benefit in this Bank account.		
<input type="button" value="Submit"/>		<input type="button" value="Cancel"/>

**Claim Request has been submitted successfully.
Now click on Close button.
This claim request will be displayed on Staff Portal**

टिप्पणी:

1- कृपया प्रमाणित करें कि प्रदर्शित बैंक विवरण सही और वेब में जहां दावे के सबूत प्रदान करने के बाद इन इंटरनेट किया जा सकता है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238861
CG-DL-E-15092022-238861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4159]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944

No. 4159]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022.

का.आ. 4340(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2022 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी और तिरुचिरापल्ली जिलों के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिलों में पहले से अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त, और पेरम्बलूर जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/07/2022-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2022.

S.O. 4340(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI.

shall come into force in all the areas of Krishnagiri and Tiruchirappalli districts, in addition to the already notified areas in the districts, and in all the areas of Perambalur district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/07/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser